30/6/18

पत्रावली आज न्यायालय आदेश हेतु पेश फोलियो अप टेप
श्रीवास्तव के पेश हुये वकील उनका का कार्यालय
से पेश हुआ कार्यालय रिपोर्ट है कि प्रार्थना
पत्र का कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः
प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है पत्रावली
फोलियो खुला रखे दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner